

कार्यालय, अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा

31/11/14

आदेश  
जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के संयुक्त आदेश नं. 2895/जो, मधेपुरा, दिनांक 30-10-2014 एवं राजस्व पर्वद, बिहार, पाना को अधिसूचना संख्या-4/उक/30013/96-175 दिनांक 27-02-2006 के आशोक में विधि अपसमा बनाने एवं हेतु मूहर्म पर्व के अक्षर पर दिनांक 04-11-2014 को जिला के समी धारा वृकानें बन्द रहेगी।  
आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

अधीक्षक उत्पाद  
मधेपुरा

- शाप संख्या 1078/उक, दिनांक 31-10-2014  
प्रतीक्षीप जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा/पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतीक्षीप जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी (D.P.R.O.) मधेपुरा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- ✓ प्रतीक्षीप जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रणधर सिंह सी०, मधेपुरा को विपसाउउ पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतीक्षीप अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा/समी अवर अधीक्षक उत्पाद को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निर्दिष्ट किया जाता है कि जिले को समी धारा वृकानों को बन्द कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सखन गइती एवं हाफामारी करेंगे ताकि किसी भी श्रेत से धारा वृक को विक्री नहीं हो सके साथ ही प्रतिदिन हाफामारी से संबंधित प्रतिवेदन अधीक्षक स्थानी के समीर्पत करेंगे।
- प्रतीक्षीप प्रतिनिधि सर्वेक्षी मै डून केली डिस्टोल्स, देगी धारा वृक विनिर्माण-शाखा, मधेपुरा/प्रबन्धक, को रस को सी० रस देगी/विदेगी धारा वृक डिप्टी, मधेपुरा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षक उत्पाद  
मधेपुरा  
31/11/14